



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक: जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 2180दि. 16.11.09

आदेश

**विषय: कृषि उपभोक्ताओं के बिलों के निस्तारण हेतु "कृषक
राहत एवं भुगतान सहायता योजना (2009-10)"
(Amnesty - Scheme 2009 -10)**

उपरोक्त विषय पर पूर्व में एक आदेश क्रमांक 1864 दिनांक 01.10.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/510) जारी किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 31.10.2009 तक थी। अभी भी कई उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठा पाये हैं और मांग कर रहे हैं कि इस योजना की अवधि बढ़ा दी जाये।

इस पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त "कृषक राहत एवं भुगतान योजना (2009-10) "(Amnesty - Scheme 2009 -10)" को दिनांक 30.11.09 तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेश क्रमांक वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/510 के अनुसार ही रहेगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से

(एम.एल.त्रिपाठी)

उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvn.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।